उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–5,
संख्या–820 / पांच–5–2020
लखनऊः दिनांकः 09 अप्रैल, 2020
कार्यालय ज्ञाप

वर्तमान में पूरे प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की विभीषिका से रोकने के उद्देश्य से लॉक डाउन किया गया हैं। इस संक्रमण से बचाव हेतु संक्रमित व्यक्ति का चिन्हीकरण एवं उसका नियमानुसार चिकित्सीय प्रशिक्षण एवं उपचार आवश्यक है। इसमें थोड़ी सी भी चूक होने पर इसका संक्रमण अत्यंत तीव्र गति से होता हैं। संक्रमित व्यक्ति से कोरोना वायरस परिवार, समाज एवं कार्य स्थल पर साथ–साथ काम करने वाले व्यक्तियों में अत्यंत तीव्रता से फैलता है, फलस्वरूप वह भी गम्भीर रूप से बीमार पड़ सकते हैं। बीमारी से मृत्यु तक होने की सम्भावना बनी रहती है।

2– कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति या वह सभी व्यक्ति जो संक्रमण क्षेत्र या संक्रमित व्यक्तियों के सम्पर्क में आये हैं, अथवा, जो निजामुददीन दिल्ली तबलीगी जमात सम्मेलन में शामिल हुए हो या शामिल होने वालों के सम्पर्क में आये हों व जिनको किसी भी प्रकार से संक्रमण होने की सम्भावना हों, वह स्वेच्छा से बिना देरी अथवा लापरवाही किये 24 घण्टे के अन्दर अपनी चिकित्सीय जांच हेतु अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष स्वयं प्रस्तुत हों। ऐसा न करना महामारी अधिनियम 1897 की धारा (2), (3), (4) एवं उत्तर प्रदेश महामारी कोविड–19 विनियमावली, 2020 के प्राविधानों का उल्लंघन है तथा ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध उक्त अधिनियम एवं विनियमावली के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जाएगी।

अमित मोहन प्रसाद
प्रमुख सचिव।

संख्या–820 (1)/ पॉच–5–2020 तद्दिनॉक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त पुलिस आयुक्त / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह अपने स्तर से प्रिन्ट / इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रचारित / प्रसारित करने का कष्ट करें।
5. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं / परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
09/04/2020
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

suneel sir u.0 com-3